




उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी  
कुलसचिव कार्यालय

पत्रांक: यू0ओ0यू0/आर3/कार्या0ज्ञाप/2016/344

दिनांक: 29/12/2016

कार्यालय ज्ञाप

कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 337/XXX(2)/2016/ 03(01)2006, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2016 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्थापना से नियोजित लिपिकीय कार्मिकों का विनियमितीकरण प्रकरण विचाराधीन है। इस हेतु तैयार की गयी अनन्तिम संयुक्त पात्रता सूची हितबद्ध कार्मिकों के मध्य इस आशय से परिचालित की जा रही है कि यदि किसी कार्मिक को सूची में अंकित विवरण के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वे इसके जारी होने की तिथि से विलम्बतम 15 दिवसों के भीतर अपनी आपत्ति साक्ष्य सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित तिथि तक किसी से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जायेगा कि अंकित विवरण के संबंध में किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा सूची को अन्तिम रूप से मान्य समझा जायेगा।

  
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या: यू0ओ0यू0/आर3/कार्या0ज्ञाप/2016/ तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1. सूची में उल्लिखित समस्त कार्मिकों को।
2. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. प्रभारी, आई0सी0टी0 को इस आशय के साथ कि वे अंतिम संयुक्त सूची को विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड कर प्राप्त आपत्तियां कुलसचिव कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4. संबंधित पत्रावली।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

कुलसचिव कार्यालय

दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को विनियमितीकरण हेतु पात्र लिपिकीय कार्मिकों (ज्येष्ठता क्रम में) की

अनन्तम संयुक्त पात्रता सूची

क्रम सं०	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति के समय आयु	वर्ग	इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्रथम नियुक्ति के समय शैक्षिक योग्यता	नियोजन की तिथि	अभ्युक्ति
1-	श्री मोहन चन्द्र	श्री शम्भू दत्त	10-07-1978	27 वर्ष 10 माह 12 दिन	सामान्य	1997	बी०ए०	22-05-2006	दिनांक 01 मार्च, 2010 से लिपिक पद पर प्रत्यावर्तित किया गया है।
2-	श्री सत्येन्द्र सिंह रावत	स्व० श्री आनन्द सिंह	05-10-1980	25 वर्ष 05 माह 07 दिन	सामान्य	1999	इण्टरमीडिएट	12-03-2006	

  
कुलसचिव

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय